

Case No.- MCA/11/2022

यूनुस खान आदि विरुद्ध कालू खान आदि

23.02.2024

अपीलार्थीगण बार—बार पुकार लगवाते अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री आजम खान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभिलेख तलबी एवं तर्क हेतु नियत है।

चूंकि अपीलार्थीगण अनुपस्थित है, अतः प्रकरण अपीलार्थीगण की उपस्थिति हेतु दोपहर पश्चात पेश हो।

सही /—

(श्रीमती प्रिया शर्मा)

द्वितीय जिला न्यायाधीश

गरोठ, जिला मंदसौर (म.प्र.)

पुनश्च:- समय 04:35 बजे

उभयपक्ष पूर्ववत्।

प्रकरण अपीलार्थीगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

अपीलार्थीगण बार—बार पुकार लगवाते अनुपस्थित है उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है।

चूंकि प्रकरण में आज अपीलार्थीगण बार—बार पुकार लगवाये जाने पर अनुपस्थित है तथा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है।

प्रकरण अपीलार्थीगण व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है।

अतः प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावाधि में दाखिल रिकार्ड हो।

सही /—

(श्रीमती प्रिया शर्मा)

द्वितीय जिला न्यायाधीश

गरोठ, जिला मंदसौर (म.प्र.)